संख्याः **/XXIV-B-3/25/46005**

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 **देहरादून, दिनांकः सितम्बर, 2025**

विषयः– शैक्षिक सत्र 2025–26 हेतु पाठ्य पुस्तकें मुद्रित कराये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांकः अका0/पा0पु0/25576/7ख(3)/2024–25 दिनांक 20 मार्च, 2025 तथा पत्रांकः अका0/पा0पु0/25577/7ख(3)/2024–25 दिनांक 20 मार्च, 2025 के संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2025–26 में राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक की अध्ययनरत् समस्त छात्र–छात्राओं (सामान्य, पिछड़ी जाति, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति) को एन.सी.ई.आर.टी./एस.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य–पुस्तकें (कक्षा 3 से 12 तक की विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तकें द्विभाषीय (हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में) उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली (यथासंशोधित), 2025 के प्राविधानानुसार मुद्रित कर, निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1) पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के प्राविधानों के अन्तर्गत आमंत्रित निविदा में प्रतिस्पर्धात्मक दरों को प्राप्त कर, अंतिम वास्तविक प्राप्त दर के आधार पर ही व्यय करेगा। प्रकरण में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 तथा स्टैण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2) निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त चयनित फर्मों द्वारा निविदा की समस्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और गुणवत्ता में कमी परिलक्षित होने पर परीक्षण करने के उपरान्त निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।

3) छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हो सकें, इस हेतु संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी नियमों के अधीन पूरी प्रक्रिया समायान्तर्गत पूर्ण कराने हेतु एक समय–सारणी तैयार करेंगे, जिससे कि शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व ससमय छात्र–छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें विद्यालयों में उपलब्ध हो सकें। विलम्ब की दशा में संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

4) पाठ्यपुस्तक के मुद्रण में निहित व्यय धनराशि को अवमुक्त करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने संबंधी वित्त अनु–01, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश

संख्या–I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 के अनुरूप अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा कुल आंकलित देयता में अवशेष धनराशि हेतु आकस्मिकता निधि अथवा पुनर्विनियोग के विकल्प को अपनाया जा सकता है।

5) इस संबंध में विभागीय स्तर पर गठित समिति द्वारा युक्तियुक्त यह विचार कर लिया जाय कि रॉयल्टी की धनराशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना है अथवा संबंधित चयनित फर्म द्वारा।

6) कागज की जीएसएम/गुणवत्ता/पिगमेंट क्वालिटि/प्रिंटिग टेक्नोलॉली इत्यादि के सम्बन्ध में मानक BIS ISO के उच्चतम मानकों के अनुरूप हो जिसमें पेपर क्वालिटी/प्री प्रोसेस स्टैंडरडाइजेशन/ब्राइटनेस/इंक गुणवत्ता/बाइंडिग गुणवत्ता/''चाइल्ड सेफ'' केमिकल्स का उपयोग इत्यादि विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा प्राप्त थर्ड पार्टी टेस्टिंग एजेंसी से लॉट टेस्टिंग/रैंडम टेस्टिग इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे की उच्चतम गुणवत्ता की पुस्तकें वितरित की जा सकें। यदि पुस्तकों की गुणवत्ता उच्चतम श्रेणी की होगी तो न सिर्फ विद्यार्थियें के लिए आकर्षिक होगी बल्कि उसे पुनः अगले अकादमिक वर्ष में नई कक्षा के लिए भी उपयोग में लाया जा सकेगा।

7) पाठ्यपुस्तक के मुद्रण में प्राकृतिक संरक्षण एवं मितव्यता का ध्यान रखा जाए।

2– यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
RAVINATH RAMAN
Date: 16-09-2025
13:03:34

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या : /XXIV-B-3/25/46005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक /माध्यमिक/एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Vikash Kumar Srivastava
Date: 18-09-2025
17:27:24

(विकास कुमार श्रीवास्तव)
अनुसचिव